क-6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर

बईजलास श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा 43/2012 रेफरेंस (राजस्व विविध) 2012/00038

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजुवाला जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

दयावन्ती पत्नि रामकुमार जाति जाट सा. 25 बीडी तहसील खाजुवाला

अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

::रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

2– अप्रार्थी की ओर से – श्री राजेन्द्र सिंह शिमला अधिवक्ता

आदेश दिनांक 20.05.2018

1– प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार खाजुवाला ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 25 बी.डी. 'ए' पुराना गांव बेरियावालीं तहसील खाजुवाला के खसरा नम्बर 55 जो सूची नम्बर 4 के अनुसार चक व मुरब्बा नम्बर 54/39 के किला नम्बर 9 ता 12 की कुल 4 बीघा बने। जो गैर मुमकीन जोहड़ मजकुर दर्ज था। सहायक उपनिवेशन छत्तरगढ़ के निर्णय दिनांक 20.05.1993 के द्वारा दयावन्ती पत्नी रामकुमार जाति जाट साकिन 25 बीडी 'ए' तहसील खाजुवाला को आवंटन कर दी। आवंटन की गई भूमि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

2– रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधिनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जवाब हेतु न्याय हित में कई अवसर दिये गये लेकिन इनकी ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। इसलिए जवाब का अवसर बंद किया गया।

3– तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि व अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

4– स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि चक 25 बी.डी. 'ए' पुराना गांव बेरियावालीं तहसील खाजुवाला के खसरा नम्बर 55 के मुरब्बा नम्बर 54/39 किला नम्बर 9 ता 12 की कुल 4 बीघा भूमि जिसकी सूची नम्बर 4 के अनुसार चक व मुरब्बा नम्बर 54/39 बने। जो गैर मुमकीन जोहड़ मजकुर दर्ज थी। सहायक उपनिवेशन छत्तरगढ़ के निर्णय दिनांक 20.05.1993 के द्वारा अप्रार्थी केसरदेवी पत्नी भोजाराम जाति जाट सा. 25 बीडी ए तहसील खाजुवाला को आवंटित कर दी गई। जो अप्रार्थीया दयावन्ती पत्नी राजकुमार जाति जाट जरिये रजिस्ट्री के पर नामान्तरण दर्ज रिकार्ड है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में इस प्रकार के आवंटनों को अवैध माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार गैर मुमकीन आगौर पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। सहायक आयुक्त उपनिवेशन इ.गा.न.प. योजना छत्तरगढ़ द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध व स्वतः ही शून्य आदेश है। रेफरेंस करने की मियाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेफरेंस आदेश फरमाया जावे।

Web Copy - Not Official

5– अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि चक 25 बी.डी. 'ए' पुराना गांव बेरियावालीं तहसील खाजुवाला के खसरा नम्बर 55 के मुरब्बा नम्बर 54/39 किला नम्बर 9 ता 12 की कुल 4 बीघा भूमि अप्रार्थीया ने केसरदेवी पत्नी भोजाराम जाति जाट सा. 25 बीडी तहसील खाजुवाला से क्रय की गई थी जिसका जरिये रजिस्ट्री इन्तकाल दर्ज रिकार्ड हुआ है। अप्रार्थीया ने भूमि पर हजारों रूपये लगाकर काश्त योग्य बनाया तथा मौके पर काबिज है। जिससे अपने परिवार का पोलन पोषण करती है। मौके पर किसी प्रकार का जोहड़ पायतन नहीं है, ना ही उक्त भूमि आगौर की है। शुद्ध रकबाराज में आवंटित होने पर ही अप्रार्थीया ने उक्त भूमि केसर देवी पत्नी भेजाराम से क्रय की थी। जिसे रेफरेंस के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत रेफरेंस 42 वर्ष बाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया है, जो कानून रूप से मेंटेनेबल नहीं है। उक्त भूमि आवंटित नहीं है बल्कि अप्रार्थीया ने क्रय की है। जिसे रेफरेंस करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रस्तुत रेफरेंस इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

6– हमने अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व न्यायालय में जैर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । मिसल बंदोबस्त में खसरा नम्बर 55 की 6 बीघा भूमि चौब के नाम दर्ज है जो कि उपनिवेशन विभाग की सूची नं. 4 के अनुसार खसरा नम्बर 55 की 6 बीघा भूमि चक 25 बी.डी. 'ए' के मुरब्बा नम्बर 54/39 के किला नम्बर 9 ता 12 में पैमूद

हुई। जो कि आवंटन आदेश दिनांक 20.5.1993 के अनुसार नामान्तरण संख्या 32 दर्ज हुआ तथा मुताबिक रजिस्ट्री के इन्तकाल अप्रार्थीया दयावन्ती पत्नी राजकुमार के पक्ष में दर्ज हुई। जो वर्तमान जमाबन्दी संवत 2068–71 में दर्ज रिकार्ड है। प्रश्नगत भूमि जोहड़ मजकूर रिफायेआम दर्ज रिकार्ड है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 (3) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है व ना ही खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। डीबी सिविल याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक2.8.04 द्वारा जोहड़ पायतन के संबंध में पारित आदेशों को अवैध माना है। मुतनाजा भूमि रिकार्ड में जोहड़ मजकूर रिफायेआम की होने के कारण अप्रार्थी को किया गया आवंटन बहाल रखना हम उचित नहीं पाते है। हम विभागीय प्रतिनिधि की बहस से पूर्णतया सहमत होते हुवे रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायौचित पाते है।

7– उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि अप्रार्थी के पक्ष चक 25 बी.डी. 'ए' पुराना गांव बेरियावालीं तहसील खाजुवाला के खसरा नम्बर 55 के मुरब्बा नम्बर 54/39 किला नम्बर 9 ता 12 की कुल 4 बीघा भूमि जिसकी सूची नम्बर 4 के अनुसार चक व मुरब्बा नम्बर 54/39 जो गैर मुमकीन जोहड़ मजकुर दर्ज था। सहायक उपनिवेशन आयुक्त इ.गा.न.प. योजना छत्तरगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.1993 को खारिज करते हुवे प्रश्नगत भूमि बहक सरकार ली जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज अंकित करने के निर्देश प्रदान किये जावे।

8– उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.11.18 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होवें।

9– आदेश आज दिनांक 20.9.2018 को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ए.एच.गौरी)
अति.जिला कलक्टर(प्रशा)
अति. बीकानेर
बीकानेर